दिनांक: 15-06-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 14.06.2026 को वादी श्री सतीश पुत्र बल्लू निवासी सैद मौहम्मदपुर गढ उर्फ नागल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल संख्या UP 11 DD 5464 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई । जिस पर अबिलम्व मु0अ0स0 246/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत करते हुये अज्ञात चोर एवं चोरी गयी मोटर साईकिल की तलाश प्रारम्भ की गयी ।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14/15.06.2026 की रात्रि में थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 अभियुक्तगण 1. शाहरुन पुत्र महफूज निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर व 2. बिट्टू पुत्र रामशरण नि0 ग्राम घटेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को गांगरो नदी पुल के आगे बिजलीघर के बाहर सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0 UP11 DD 5464 बरामद । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. शाहरुन पुत्र महफूज नि0 ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
2. बिट्टू पुत्र रामशरण नि0 ग्राम घटेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 मोटरसाइकिल स्पलैन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन UP11 DD 5464

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 357 अनुज कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
4. का0 1802 विट्टू कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
5. रि0का0 456 हर्ष सक्सेना थाना बेहट, जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश/अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, गौकशी के उपकरण (01 रस्सी, 03 छुरे, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।***

इसी क्रम में दिनांक 14.06.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा मय पुलिस फोर्स के थाना क्षेत्र के ग्राम सबरीपुर जाने वाले नदी के रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर रूकने का ईशारा किया गया तो संदिग्धों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और नदी में खेतो की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोटर साईकिल मोड कर भागने लगें। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों की मोटर साईकिल फिसलकर गिर गई। पुलिस टीम के पास जाने पर बदमाशों ने पुनः जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया । पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया । जिसकी तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश/अभियुक्त की पहचान ***ईनाम पुत्र बाबू निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *के रुप में हुई । घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के* ***कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, गौकशी के उपकरण (01 रस्सी, 03 छुरे, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका) व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल*** *बरामद हुई। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों में गौकशी, गुण्डा एक्ट एवं अन्य आपराधिक मामलों के कई अभियोग पंजीकृत हैं । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर म0अ0सं0- 240/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मै और मेरा दोस्त हम दोनो मिलकर रात में आवारा घूमते पशुओं को पकड़कर जंगल में सुनसान जगह लेकर कटान कर देते है और मांस को मुस्लिम बस्तियों में बेच देते है। जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है। कल रात भी हम दोनो किसी आवारा घूमतू पशु की तलाश में घूम रहे थे कि सामाने पुलिस को चेकिंग करते देख हम लोगो ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस वालो पर फायरिंग कर दी और भागने लगे, इसमें पुलिस की एक गोली मेरे पैर में आ लगी जिससे में जख्मी हो गया और मेरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकला और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पताः-

ईनाम पुत्र बाबू निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *01 अवैध तमंचा .315 बोर*
- *02 जिंदा कारतूस .315 बोर*
- *01 खोखा कारतूस .315 बोर,*
- *01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)*
- *गौकशी के उपकरण (01 रस्सी, 03 छुरे, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका)*

आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 86/2003 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 184/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 391/17 धारा 3 यु0पी0 गुण्डा अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 240/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
2. *व0 उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री बबूल कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 1336 प्रशान्त कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
5. *है0का0 581 लक्ष्मीप्रसाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
6. *है0का0 231 रोहित थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
7. *है0का0 961 रोहित राण थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
8. *का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

दिनाक- 15.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1400 पेटी अंग्रेजी शराब अलग- अलग ब्राण्ड व मार्का (चंडीगढ राज्य मे बिक्री हेतु अनुमन्य) व घटना में प्रयुक्त 01 कैंटर/ट्रक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब/मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा व प्रभारी आबकारी टीम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त मोहन लाल पुत्र गुणेश राम निवासी लीलासर कोलू जिला बाडमेर राजस्थान** को टोल प्लाजा सरसावा अम्बाला रोड सहारनपुर से थोडा आगे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 1400 पेटी अंग्रेजी शराब अलग-अलग ब्राण्ड व मार्का (चंडीगढ राज्य मे बिक्री हेतु अनुमन्य) व 01 ट्रक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 199/2026 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व 318(4) बीएनएस के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त मोहन लाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस से बचते बचाते चण्डीगढ़ से सस्ते दामों पर अंग्रेजी शराब खरीदकर दूसरे राज्यों में डिमाण्ड के हिसाब अधिक दामों पर सप्लाई करते है तथा इस काम में अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जो पैसे मिलते है आपस में बांट लेते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहन लाल पुत्र गुणेश राम निवासी लीलासर कोलू जिला बाडमेर राजस्थान

बरामदगी का विवरण

- 1400 पेटी अंग्रेजी शराब अलग- अलग ब्राण्ड व मार्का (चंडीगढ राज्य मे बिक्री हेतु अनुमन्य)
- 01 कैंटर/ट्रक (शराब की तस्करी में इस्तेमाल)

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

1. शिखर श्रीवास्तव आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 3 सहारनपुर
2. श्री बलराम सिह आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 1 सहारनपुर
3. श्री अरुण कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 नकुड सहारनपुर
4. श्री अमित वर्मा प्र0आ0सि0 प्रवर्तन 3 सहारनपुर
5. श्री कुलदीप सिंह प्र0आ0सि0 प्रवर्तन 5 सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री देवेन्द्रपाल तोमर थाना सरसावा सहारनपुर
7. है0का0 24 सुनील कुमार, थाना सरसावा सहारनपुर
8. हैका0 599 प्रदीप कुमार, थाना सरसावा सहारनपुर

9. का0 2225 रंगेश सिह थाना सरसावा सहारनपुर
10. का0 2367 योगेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
11. वीरेन्द्र सिह प्रधान आ0सि0 प्रवर्तन 4
12. देवेन्द्र सिंह आ0सि0 प्रवर्तन 3 सहारनपुर
13. बाबूलाल आ0 सि0 प्रवर्तन 3 सहारनपुर
14. मनोज तोमर सि0 प्रवर्तन 3 सहारनपुर
15. वैभव कुमार सि0 प्रवर्तन 3 सहारनपुर
16. मंयक सिह सि0 प्रवर्तन 3 सहारनपुर
17. नीरज कुमार सि0 प्रवर्तन 3 सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः15.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **01 वारंटी / अभियुक्त मौसीन पुत्र समसुद्दीन निवासी झौपड पट्टी छोटी लाईन फाटक खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 8819/ 25 व मु0अ0स0 331/03 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना सदर बाजार (माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय सहारनपुर) नियत तिथि दिनांक 15.06.2026 में थाना क्षेत्र सदर बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पताः–

मौसीन पुत्र समसुद्दीन निवासी झौपड पट्टी छोटी लाईन फाटक खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 2519 सर्वेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 15.06.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है व* ***शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान*** *के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है ।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जौनी उर्फ जावेद पुत्र महावीर निवासी नयाबांस उर्फ पटना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को फिरोजाबाद रोड से दायी ओर आम के बाग से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-199/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया।। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जौनी उर्फ जावेद पुत्र महावीर निवासी नयाबांस उर्फ पटना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *15 ग्राम अवैध स्मैक*

आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 209/17 धारा 376 , 506 भादवि व 67 ए आईटी एक्ट थाना चिलकाना*
2. *मु0अ0सं0 411/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना*
3. *मु0अ0सं0 692/22 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना देबबन्द*
4. *मु0अ0सं0 181/23 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना देबबन्द*
5. *मु0अ0स0-199/2026 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री रवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *का0 2299 कृष्णवीर सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
3. *रि0आ0 588 राजकुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः15.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा कुकर्म के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.05.2026 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के नाबलिग पुत्र के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 176/26 धारा 3/4(2)/16/17 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण ***1.राजेन्द्र उर्फ राजन पंडित उर्फ राजन शर्मा पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर सानी थाना नागल जिला सहारनपुर 2.बुद्धू पुत्र बशीर निवासी ग्राम उमाही थाना नागल जिला सहारनपुर*** *को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *राजेन्द्र उर्फ राजन पंडित उर्फ राजन शर्मा पुत्र श्याम सिंह नि0 ग्राम वाजिदपुर सानी थाना नागल, सहारनपुर।*
2. *बुद्धू पुत्र बशीर निवासी ग्राम उमाही थाना नागल, सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री मनेन्द्र सिहँ थाना नांगल जिला सहारनपुर।*
3. *का0 811 दीपक कुमार थाना नागल सहारनपुर।*
4. *है0का0 968 संदीप भाटी थाना नागल सहारनपुर।*

दिनांक- 15.06.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 13.40 ग्राम स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – **"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.06.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नशा तस्कर अभियुक्त **अहमद पुत्र अल्लारक्खा निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को नवाजिश खान की टयूबवैल के पास थाना गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 13.40 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 183/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अहमद पुत्र अल्लारक्खा निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 - 128/2021धारा 13 जुआ अधि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

2.मु0अ0स0 314/2021 धारा 8/21एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *13.40 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

3. का0 1345 सुशान्त कपिल जनपद सहारनपुर।

4. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

दिनांक:15.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद

घटना का विवरणः-

दिनाँक 29.4.2026 को वादी लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच कर लाठी-डंडो से मारपीट करना व जान से मारने का प्रयास करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 151/26 धारा 118(1)/115(2)/352/351(3)/109(1)/117(2) बीएनएस के पंजीकृत किय गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व आपराधिक घटनाओं के सफल अनावरण हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस द्वारा दिनांक 15.06.2026 को **मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जेल में निरूद्ध अभियुक्त अहकाम पुत्र मनव्वर नि0 ग्राम ताशीपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर** को पी0सी0आर0 पर लेकर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अहकाम उपरोक्त की निशानदेही पर **घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू (अभियुक्त के ताऊ जमशेद के खेत से झाड़ियो व पोपुलर के पेड़ की जड़ के पास से)** बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्त थाना नांगल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/26 धारा 109(1)/191(1)/191(2)/ 115(2)/ 352/ 351(3)324(4) बीएनएस व 7 सीएसए एक्ट मे भी वाछित चल रहा था। बाद पीसीआर अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल में निरूद्ध किया गया।

रिमाण्ड पर लिए गये अभियुक्त का नाम व पताः-

अहकाम पुत्र मनव्वर नि0 ग्राम ताशीपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध चाकू (घटना में प्रयुक्त)

रिमाण्ड पर लेने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रनपाल सिह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. का0 1851 पंकज कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।
5. रि0का0 1539 अनिल थाना नांगल जिला सहारनपुर।
6. रि0का0 1548 शरद थाना नांगल जिला सहारनपुर।

दिनांक: 15.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित एक शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्ध श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त अजीम पुत्र हुसैन निवासी मौहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को* ***अवैध चाकू सहित थाना देवबन्द क्षेत्र*** *से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 431/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

अजीम पुत्र हुसैन निवासी मौहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध चाकू

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1- उ0नि0 श्री गोविन्द शरण चौकी प्रभारी मंगलौर रोड थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2- का0 2253 सजय कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3- का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
4- का0 2284 कृष्णा कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

दिनांक: 15.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 क्रिकेट बैट व 02 स्टम्प बरामद

घटना का विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 07/06/2026 को वादी श्री परमजोत सिंह पुत्र दया सिंह निवासी नकूड थाना नकुड़ जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण अभिषेक पुत्र संता निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपनी मो0सा0 रजि0नं0 UP 11 DM 3488 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी व वादी के भाई हरकीरत सिह की मो0सा0 स्पलैण्डर रजि0नं0 HR 75D 3353 में टक्कर मार देना व अभि0गणों द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के भाई के साथ लाठी व डन्डो, स्टाम्प व क्रिकेट बैट के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट करने जिससे वादी व वादी के भाई के गम्भीर चोट आने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ जिसके आधार पर मु0अ0सं0-405/2026 धारा 191(2)/281/125(वी)/115(2)/ 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए **03 वाछिंत अभियुक्तगण 1. महेन्द्र उर्फ मनीष उर्फ काका पुत्र शिवकुमार निवासी तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2. रोहित पुत्र पवन कुमार निवासी तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 3. नितिन पुत्र रविन्द्र निवासी तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को साखन नहर तल्हेड़ी बुजुर्ग रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 क्रिकेट बैट व 02 स्टम्प बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1- महेन्द्र उर्फ मनीष उर्फ काका पुत्र शिवकुमार निवासी तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

2- रोहित पुत्र पवन कुमार निवासी तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

3- नितिन पुत्र रविन्द्र निवासी तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 02 अदद स्टम्प ***(घटना में प्रयुक्त)***
- 02 क्रिकेट बैट ***(घटना में प्रयुक्त)***

अपराधिक इतिहास (अभियुक्त महेन्द्र उपरोक्त)

1-मु0अ0स0 823/2025 धारा 115(2), 351(3),352 बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2-मु0अ0स0 196/2026 धारा 115(2)/191(2)/351(3)/352/74 बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1-उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2-उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3-है0का0 1209 रविन्द्र थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4-का0 2173 विवेक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5-का0 2237 योगेन्द्र थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
6-रि0का0 664 नरेन्द्र थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांक- 15.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.06.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान ***01 अभियुक्त 1. इरफान पुत्र इशहाक निवासी मोहल्ला किला नवावगंज गली नंबर 2 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*** *को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत मोहल्ला किला नवाबगंज गली के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. इरफान पुत्र इशहाक निवासी मोहल्ला किला नवावगंज गली नंबर-2 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

2. का0 1468 धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर